चेक लिस्ट क्रमांक–07

प्रपत्र–4 में प्रस्ताव।

प्रपत्र - 4

आवेदन पत्र (नियम-4)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत् भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राजस्व सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा - 2 के अंतर्गत् मंजूरी/स्वीकृति लेन का प्रारूप

1.	**परियोजना** ब्यौरा		
	(i)	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
	(ii)	अपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा दर्शाने वाला मानचित्र तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, जो उपवन संरक्षक रैंक से नीचे न हो)	संलग्न है।
	(iii)	परियोजना का कुल लागत	50.00 करोड़
	(iv)	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई उनको देते हुये और उनको नामंजूर करने का कारण बतायें	इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वर्तमान भूमि भौगोलिक तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। अतः इन स्थल को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है।
	(v)	वित्तीय और सामाजिक लाभ	इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी।
	(vi)	कुल लाभान्वित आबादी	लगभग 50,000.00
	(vii)	सृजित रोजगार	अस्थायी - 50, स्थायी - 25 सृजित रोजगार

2	**परियोजना का स्थान**					
	(i)	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	छत्तीसगढ़			
	(ii)	जिला	रायगढ़			
	(iii)	वन विभाग	परिक्षेत्र छाल, वनमण्डल धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़			
	(iv)	कम्पार्टमेंट	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा हे.	आवेदित रकबा हे.	
			PF-551	.....	6.823	
3	**मौजुदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा :-**		निजी भूमि हे.	शासकीय भूमि हे.	वन भूमि हे.	योग हे.
			0	0	6.823	6.823

4	**शामिल वन भूमि का ब्यौरा :-**		
	(i)	वन का वैधानिक स्थित नाम (आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत)	संरक्षित वन
	(ii)	क्षेत्र में मोजुदा वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा	संलग्न है।
	(iii)	वनस्पति का सघनता	0.4
	(iv)	वृक्षो की प्रजातिवार तथा व्यास श्रेणीवार	संलग्न है।
	(v)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं	नही है।
	(vi)	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण प्रकोष्ठ, आरक्षित जीव मण्डल, जिर्व आदि का एक हिस्सा है यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें।	उक्त प्रस्तावित उपकेन्द्र हेतु चिन्हांकित किया गया है व क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वन विभाग कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वाईल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थित है तथा प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र से 16 कि.मी. की दूरी में आता है।

	(vii)	विभिन्न प्रयोजनों के लिये आरक्षित वन भूमि का मदवार ब्यौरा	संरक्षित वन - 6.823 हे०
	(viii)	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ, संकटपन वन जातियों व प्राणी जगत की प्रजातियां	इस क्षेत्र में दृष्टि गोचर नही है।
	(ix)	क्या प्रवासी जन्तुओं के लिये एक वास स्थल है या उसके लिये प्रभाग भूमि भाग है।	ऐसा प्रतीत नही होता।
	(x)	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	नहीं है।
5	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा :-**		
	(i)	विस्थापित होने वाले कुल परिवारों की संख्या	नहीं है।
	(ii)	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या।	नहीं है।
	(iii)	विस्तृत पुनर्वास योजना	नहीं है।
6	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा :-**		
	(i)	क्षतिपूरक वन रोपन के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र, अभिनित वनक्षेत्र कस ब्यौरा, निकटवर्ती वन सामाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	नहीं है।
	(ii)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन/अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सामाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	नहीं है।
	(iii)	रोपण की जाने वाली प्रजातियां, कार्यान्वयन एजेंसी, समय सूचि, लागत ढ़ाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण।	नहीं है।
	(iv)	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	नहीं है।
	(v)	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	नहीं है।
	(vi)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र (यदि लागू है)	नहीं है।
7	प्रशिक्षण लाईन के बारे में ब्यौरा केवल परिलक्षण लाईन प्रस्तावों के लिये		लागू नही।
	सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु		लागू नही।
9	**सड़क/रेल लाईन के बारे में ब्यौरा :-**		
	(i)	सड़क की कुल लंबाई	लागू नही।
	(ii)	पहले बनाई जा चुकी सड़क की लंबाई	लागू नही।
	(iii)	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क की लंबाई	लागू नही।
10	**खनन प्रस्ताव के बारे में :-**		
	(i)	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
	(ii)	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं है।
	(iii)	वन क्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भंडार	नहीं है।
	(iv)	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं है।
	(v)	खनन कार्य का किस खुली खदान / भूमिगत	नहीं है।
	(vi)	चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं है।
	(vii)	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका ढ़लान	नहीं है।

(viii)	पट्टा संलग्न की प्रति संलग्न किया जाये केवल नविनीकरण हेतु	नहीं है।
(ix)	नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	नहीं है।
(x)	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	नहीं है।
(a)	खनन	नहीं है।
(b)	खनिज/कच्चे धातु भंडार	नहीं है।
(c)	अधिभार का जमा करना	नहीं है।
(d)	औजारो और मशीनों का भंडार	नहीं है।
(e)	भवनों, बिजली घरों, कार्यशालाओं, आदि का निर्माण	नहीं है।
(f)	शहर/आवासों कॉलोनीयॉ	नहीं है।
(g)	सड़क/राजमार्ग/रेलवे लाईन का निर्माण	नहीं है।
(h)	अपेक्षित वन क्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	नहीं है।
(xi)	परियोजना से प्रभावित ऊपर (क से ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वन भूमि मांग की गई है, उनकी वन क्षेत्र के बाहर न किये जाने के क्या कारण है।	नहीं है।
(xii)	खनन और संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्मिलित क्षति और प्रभावित हाने वाली वृक्षों की संख्या	नहीं है।
(xiii)	बारहमासीय नदियों, मार्गो, राष्ट्रीय अद्यान, अभ्यारणों और जीव मण्डल रिजर्वो से खनन क्षेत्र की दूरी	नहीं है।
(xiv)	पुनः प्रयोग के लिये उपरीमुद्रा के भंडारण की प्रक्रिया	नहीं है।
(xv)	भूमि की खनन कार्यो में अपेक्षित अवतलन की मात्रा, जल और वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण	संलग्न है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है, हॉ/नहीं यदि हॉ तो क्या उसके लिये अपेक्षित ब्यौरा कर दिये गये है हॉ/नहीं	लागू नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुऐ कोई कार्य किया गया है, हॉ/नहीं यदि हॉ तो	नहीं।
(i)	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्यौरे	-
(ii)	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	-
(iii)	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गई/जा रही कार्यवाही	-
(iv)	क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है।	-
14	कोई अन्य सूचना	-
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	ब्यौरा सूची संलग्न है।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्ययक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् :-	
(i)	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादन	नहीं है।
(ii)	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है।	नहीं है।
(iii)	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	

		(1) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की अर्थ व्यवस्था और जिविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
		(2) आदिवासीयों और पिछडे समुदायों की अर्थ व्यवस्था और जिविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
(iv)		कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश	राष्ट्र में विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिये वनभूमि की मॉग न्यूनतम है।

(ए.के. खलखो)
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग
छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायगढ़

(अभिषेक जोगावत)
(भा.व.से)
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल धरमजयगढ़